फाइल नं0-71-1002(002)/26/2021

संख्या-89/2024/I/570993/2024

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ/जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा/एस0एस0पी0एच0 एण्ड पी0जी0टी0आई0 नोएडा/कैंसर संस्थान, लखनऊ।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई इटावा/अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज उ0प्र0।
5. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय उ0प्र0।
6. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 29 मई, 2024**

विषयः- चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 एंव क्रियाशीलता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि चिकित्सकीय उपकरणों को प्रशिक्षित डॉक्टर, पैरा मेडिकल वर्कस, बायोमेडिकल इंजीनियरों आदि द्वारा जनहित में सदुपयोग किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि चिकित्सकीय उपकरणों के मरम्मत/रख-रखाव की व्यवस्था इस प्रकार किया जाए कि उपकरण शत-प्रतिशत कार्यात्मक स्थिति में रहें।

2- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में किसी भी स्रोत से उपलब्ध कराये गये वेण्टीलेटर एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0/रख-रखाव अपरिहार्य एंव आवश्यक होने के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सकीय उपकरणों के अनुरक्षण के लिए ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 की कोई सीमा नहीं होगी, परन्तु सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/प्रधानाचार्य/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय नियमों और वित्तीय अनुशासन का सम्यक् अनुपालन किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त व्यवस्था सभी चिकित्सकीय उपकरणों पर लागू होगी, चाहे वे भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा या अन्य किसी स्रोत से उपलब्ध कराये गये हो।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित निदेशक/प्रधानाचार्य/कुल सचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी चिकित्सकीय उपकरण पूर्णतः क्रियाशील रहें।

कृपया उपर्युक्तानुसार शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
पार्थ सारथी सेन शर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी (मा0 मंत्री), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।